कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/87/2025

मिथलेश पुत्री श्री मवासी राम पत्नि श्री पवन कुमार, चावला ऑफसेट के पास नदिया मौहल्ला, जाटव बस्ती, वार्ड नं0 35, भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 08.01.2026**

मिथलेश पुत्री श्री मवासी राम पत्नि श्री पवन कुमार, चावला ऑफसेट के पास नदिया मौहल्ला, जाटव बस्ती, वार्ड नं0 35, भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2025/1043 दिनांक 19.12.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी भरतपुर का जबाब पत्रांक कोष/आरटीआई/2025 दिनांक 08.01.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब पत्रांक कोष/आरटीआई/2025 दिनांक 08.01.2026 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक कोष. / पेंशन / 2025–26 दिनांक 02.12.2025 से प्रार्थी को भी सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर के उक्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी / अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर